LF-6116/73

PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(i) AS G.S.R. NO 1196 DATED 3.11.1973.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)
DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)

New Delhi, the 17th October, 1973.
25 Asvina, 1885 S.E.

N O T I F I C A T I O N

G.S.R.No. 1196 In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely, -

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (sixth Amendment) Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960, in rule 54, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely, -

"(1A) Where the fee under sub-rule (1) has been deposited, but no application for revision has been made, the fee shall be refunded to the person concerned on an application being made by him in this behalf to the Central Government."

Sd/-
(V.K.HARURAY)
Deputy Secretary to the Govt. of India
File No. 1(11)/73-MVI

To

The Manager,
Government of India press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi.

प-61/6/73

(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3(i) तारीख 3-11-1973 में प्रकाशित)

भारत सरकार

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1973 / 25 आश्विन, 1895(शक)

अधिसूचना

सा० का० नि० सं० 1196 खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) ये नियम खनिज रियायत (छठा संशोधन) नियम, 1973 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 में, नियम 54 के उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) जहां उप नियम (1) के अंतर्गत शुल्क जमा कर दिया गया हो, परन्तु पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया हो, तो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार को आवेदनपत्र प्रस्तुत किए जाने पर सम्बद्ध व्यक्ति को शुल्क लौटा दिया जाएगा।"।

(वीरेन्द्र कुमार हूरे)
उप सचिव, भारत सरकार
संख्या 1(11)/73खान-6

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी (नई दिल्ली)